न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–213/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00340)

1. गुरजीत सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, जाति रायसिख, उम्र करीब 55 साल निवासी ग्राम बालान बसई थाना खैरथल, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, राजस्थान।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 22.01.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प.21–12 (579/2015) क्रमांक 2285–87 दिनांक 11.05.2018 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट 12 बोर बन्दुक डी.बी.बी.एल 2789/ए/4 का लाईसेन्सधारक है, उक्त 12 बोर बन्दुक अपीलान्ट की खरीदशुदा है जिस बन्दुक का लाईसेन्स सीरियल नम्बर एस एन 62, 123–37–21–1(1) अपीलान्ट के नाम जारी किया हुआ है, उक्त लाईसेन्स नम्बर 4820009132015 है, जो जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा जारी किया हुआ था जो लाईसेन्स जारी होने के पश्चात् दिनांक 31.12.1987 तक मान्य था। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 31.12.1987 के पश्चात् दिनांक 31. 12.2015 तक अपीलान्ट का उक्त लाईसेन्स नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा विभिन्न वर्षो में नियमानुसार नवीनीकरण किया जाता रहा है कभी भी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई आक्षेप नही लगाया गया और समय–समय पर अपीलान्ट का लाईसेन्स नवीनीकरण होता रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 21.11.2016 को अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें यह स्पष्ट बता दिया गया था कि अपीलान्ट के विरूद्ध जो अपराधिक प्रकरण चल रहे है उनका विवरण अंकित कर दिया गया था तथा दिनांक 11.05.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण उचित नही बताते हुये नवीनीकरण प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तौर पर खारिज किया गया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने उक्त अपीलाधीन आदेश में अंकित किया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

है कि प्रार्थी को पुलिस अधीक्षक ने पक्ष रखने का अवसर दिये था किन्तु गौर तलब है कि पुलिस अधीक्षक ने कभी भी मिन अपीलान्ट से कोई जॉच नही की और ना ही कोई साक्ष्य पेश करने बाबत सूचना प्रेषित की बल्कि जिला मजिस्ट्रेट अलवर ने तथ्यों पर कोई गौर नही करते हुये बैजा रूप से अपीलान्ट का शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो निरस्तनीय है ।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 23.05.2016 को पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा अपने पत्रांक 9617 के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की थी जबकि जिन अपराधिक केसों बाबत उक्त पत्र में लिखा गया है उसमें किसी भी केस में अपीलान्ट को सजा नही हुई बल्कि बरी किया गया है किन्तु पलिस अधीक्षक ने बिना कोई जॉच किये तथा बिना कोई अपने पत्र में वर्णित मुकदमों के तथ्यों पर गौर किये अपीलान्ट के शस्त्र लाईसेन्स के नवीनीकरण की अनुशंषा नही की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 327/99 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 307 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2002 को अपीलान्ट को बरी किया जा चुका है इस प्रकार आज दिनांक तक अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसा कोई प्रकरण नही है जिसमें अपीलान्ट को कोई सजा हुई हो, उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने कभी भी मिन अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया और ना ही किसी पुलिस अधिकारी ने अपीलान्ट को कोई स्पष्टीकरण दिये जाने बाबत कोई नोटिस जारी किया जबकि दिनांक 30.11.2017 को यह आदेश पारित किया गया था कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है किन्तु उसके बावजूद भी सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही दिया गया बल्कि बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलान्ट के शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.2018 को खारिज कर दिया जो आदेश दिनांक 11.05.2018 विधि के प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट एक सामाजिक व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ अपने गांव बालान बसई में रहता है तथा कृषि कार्य करता है उसके विरूद्ध कभी भी कोई सजा बाबत आदेश पारित नही हुआ है एवं अपीलान्ट गांव के सभ्रात व्यक्तियों की श्रेणी में आता है किन्तु पुलिस अधीक्षक ने बिना कोई जॉच कराये सरसरी तौर पर दिनांक 23.5.2016 को अपीलान्ट का लाईसेन्स नवीनीकरण नही किया जाने की अनुशंषा की है, जो गलत है तथा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रट अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 बिना कोई जॉच व बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट

सभागीय आयुक्त
जयपुर

के शस्त्र लाईसेन्स के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो आदेश दिनांक 11.05.2018 निरस्त किये जाने योग्य है तथा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर को आदेशित किया जाना आवश्यक है कि अपीलान्ट के शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण नियमानुसार कर देवें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 को निरस्त किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र लाईसेन्स 12 बारे दुनाली संख्या 2789/ए/4 को नियमानुसार आगामी वर्षो के लिये नवीनीकरण करने की आाज्ञा सादिर फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश क्रमांक 1405 दिनांक 29.02.16 की पालना में शस्त्र लाईसेन्सधारी श्री गुरजीतसिंह के लाईसेन्स की जॉच रिपोर्ट इस प्रकार है कि आवेदक लाईसेन्सधारी द्वारा धारित शस्त्र बारह बोर दो नाली बन्दूक नम्बर 2789/ए/4 है, जो प्रतिबंधित बोर नही है, आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना खैरथल में अभियोग संख्या 253/99 धारा 39 विधुत अधिनियम का दर्ज होकर बाद अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 210 दिनांक 30.09.1999 को किता की जाकर चालान न्यायालय पेश किया गया जो प्रकरण विचाराधीन न्यायालय है तथा आवेदक के विरूद्ध अभियोग संख्या 327/99 दिनांक 26.06.99 धारा 147, 148, 149, 323, 307 आईपीससी व 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज होकर बाद अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 255/99 दिनांक 04.12.99 को किता की जाकर चालान पेश न्यायालय किया गया जिस प्रकरण का न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2002 को फैसला किया गया तो मुल्जिम गुरजीतसिह को प्रकरण में बरी किया गया है, आवेदक के खिलाफ अभियोग संख्या 253/99 धारा 39 विधुत अधिनियम का विचाराधीन न्यायालय होने से उक्त जॉच के आधार पर आवेदक श्री गुरजीत सिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम बालान बसई थाना खैरथल जिला अलवर के शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने की पुलिस अधीक्षक जिला अलवर के पत्रांक 9671 दिनांक 23.05.16 द्वारा अनुशंषा नही की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर को प्रेषित किया गया था अपीलान्ट के खिलाफ अभियोग संख्या 253/99 धरा 39 विधुत अधिनियम का प्रकरण विचाराधीन न्यायालय होने के काण शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही बताया था, पुलिस अधीक्षक अलवर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर दियो गया था लेकिन अपीलान्ट द्वारा जवाब में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया था, इस कारण अपीलान्ट का शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अलवर द्वारा सक्षम स्तर से खारिज किया गया था जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 11.05.18 को लिया गया निर्णय सही है। अतः अपील खारिज करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किय तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नोटशीट के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर